विशेष दांडिक प्रकरण कमांक–53 / 2021 "छ.ग. शासन विरूद्ध पवन सिंह गोड़ व अन्य "

Witness No. . 07 ..... for- अभियोजन .... Deposition taken

the ..... –29 / 06 / 2026– day -- सोमवार –. Witness's apparent age .–42 वर्ष...

States on affirmation -शपथपूर्वक..... my name is – सुशील जायसवाल

s/o – चंद्र जायसवाल Occupation – फल विक्रेता

address :- कालीबाड़ी थाना सिटी कोतवाली रायपुर जिला रायपुर छ.ग.

मुख्यपरीक्षण द्वारा श्रीमती स्वाति शर्मा विशेष लोक अभियोजक वास्ते राज्य

01. मैं अभियुक्तगण को जानता व पहचानता नहीं हूं।

02. आज से लगभग 4–5 वर्ष पूर्व थाना कोतवाली के पुलिस वाले मेरे दुकान पर आए थे और मेरा इलेक्ट्रानिक तराजू लेकर गए थे 2–3 घंटे बाद आकर इलेक्ट्रानिक तराजू वापस किये और कुछ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा था तब मैंने हस्ताक्षर किया था।

03. मुझे घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

04. तराजू बांट हेतु नोटिस **प्रदर्श पी. 32** के अ से अ भाग, इलेक्ट्रानिक तराजू का भौतिक सत्यापन पंचनामा **प्रदर्श पी. 12,** तौलक का जामा तलाशी **प्रदर्श पी. 13,** तौल पंचनामा **प्रदर्श पी. 14** के स से स भाग पर मेरे हस्ताक्षर है।

नोटः– इसी स्तर पर अभियोजन द्वारा साक्षी से ऐसे प्रश्न पूछे जाने की अनुमति चाही गई, जिस प्रकार के प्रश्न प्रतिपक्षी द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे जा सकते हैं। साक्षी के साक्ष्य के अवलोकन व अभियोजन के दस्तावेजों का अवलोकन कर विचार बाद निवेदन स्वीकार कर अनुमति दी गई।

05. यह कहना गलत है कि पुलिस वालों के साथ मैं पुलिस लाईन धमतरी गेट शराब भट्ठी के पास नेहरू नगर रोड किनारे पीपल झाड़ के पास गया था। यह कहना गलत है कि पुलिस वाले मुझे तौल कार्यवाही हेतु नोटिस दिये थे। यह कहना गलत है कि मेरी तलाशी ली गई थी।

06. यह कहना गलत है कि पुलिस वालों द्वारा मेरे तराजू का भौतिक सत्यापन किया गया था। यह कहना गलत है कि मैंने घटना स्थल अभियुक्तगण से जप्तशुदा मादक पदार्थ गांजा का तौल किया था जिसका कुल वजन 15 किलो 500 ग्राम पाया गया था और 50–50 ग्राम के सैम्पल पैकेट तैयार किया था।

07. साक्षी का उसका पुलिस कथन **प्रदर्श पी. 33** के अ से अ भाग का अंश **"दिनांक 23.03.2021..................अनुसार लिखा है"** पढ़कर सुनाए जाने पर ऐसा कथन देने से इंकार किया है।

08. यह कहना गलत है कि मैं अभियुक्तगण का जानता पहचानता हूं और उसे बचाने के लिए झूठा कथन कर रहा हूं।

<u>प्रतिपरीक्षण द्वारा सुश्री सरिता कुर्रे अधिवक्ता वास्ते अभियुक्तगण</u>

09. यह कहना सही है कि सारे दस्तावेजों पर मैंने अपने दुकान पर एक साथ हस्ताक्षर किया था।

10. यह कहना सही है कि मैं पुलिस वालों के साथ किसी भी कार्यवाही में नहीं गया था।

गवाह को पढकर सुनाया गया *मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।*

सही होना स्वीकार किया।

सही/–

(शैलेश शर्मा)
विशेष न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस)
रायपुर (छ0ग0)

सही/–

(शैलेश शर्मा)
विशेष न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस)
रायपुर (छ0ग0)

साक्षी के हस्ताक्षर ....